



क्रमांक: प.( )/जरारासंविदि/संस्था0/21/ 386

दिनांक:- 16/4/21

### कार्यालय आदेश

कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने हेतु गृह (ग्रुप-9) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.33(2)गृह-9/2019 दिनांक 14.04.2021 के क्रम में राजकीय कार्यालय सांय 04:00 बजे तक खुले रहेंगे एवं विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का ऑफ लाईन अध्ययन-अध्यापन, पुस्तकालय, छात्रावास एवं मैस दिनांक 30.04.2021 तक अथवा राज्य सरकार के अग्रिम आदेशों तक बन्द रहेंगे। उक्त आदेशों की पालना तत्काल सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(सुरेन्द्र सिंह यादव)  
आर.ए.एस.  
कुलसचिव

क्रमांक: प.( )/जरारासंविदि/संस्था0/21/ 387-97

दिनांक:- 16/4/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव, माननीय कुलाधिपति महोदय, राजभवन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. नियंत्रक, वित्त/परीक्षा, जरारासंविदि, जयपुर।
4. निजी सचिव, मान. कुलपति महोदय, जरारासंविदि, जयपुर।
5. निदेशक शैक्षणिक परिसर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि समस्त विभागाध्यक्षों को इस सम्बन्ध में अपने स्तर पर सूचना प्रसारित करना एवं विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की ऑफ लाईन क्लासेज के स्थान पर ऑन लाईन क्लासेज लिया जाना सुनिश्चित करेंगे।
6. निदेशक अनुसंधान/राजस्थान मन्त्र प्रतिष्ठान, जरारासंविदि, जयपुर।
7. मुख्य छात्रावास अधीक्षक, जरारासंविदि, जयपुर।
8. सहायक कुलसचिव, प्रथम एवं द्वितीय, जरारासंविदि, जयपुर।
9. प्रभारी पुस्तकालय, जरारासंविदि, जयपुर।
10. प्रभारी वेबसाईट, जरारासंविदि, जयपुर।
11. नोटिस बोर्ड, जरारासंविदि, जयपुर।

कुलसचिव